

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान-अजमेर

क्रमांक:- एफ2(1564)/स्था/पमु/2020/

दिनांक: 28.07.2020

--: आदेश :-

कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2013 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों पर वर्ष 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक-अप किये गये चयनित अभ्यर्थियों को शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान के पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु/अनु.-3/2020 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा विभाग को आवंटित किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Probationer-Trainee) के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.17 के शिड्युल 4 के तहत लेवल 5 में रूपये 14600/- (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से उनके सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन एतद् द्वारा किया जाता है :-

क्र. स.	अभ्यर्थी का नाम	रैंक	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1.	गजेन्द्र चौहान पुत्र बाबुलाल चौहान	17705	03/04/1992	उप पंजीयक कार्यालय सोजत जिला पाली
2.	गिरिराज पुत्र रुघाराम राम	17867	16/02/1992	उप पंजीयक कार्यालय रोहट जिला पाली
3.	सहदेव डेवाल पुत्र धर्मा राम डेवाल	18143	20/12/1993	उप पंजीयक कार्यालय जयपुर अष्टम जिला जयपुर
4.	दिनेश सिंह बिरठ पुत्र हडमानाराम	18260	15/07/1998	उप पंजीयक कार्यालय जयपुर चतुर्थ जिला जयपुर
5.	अमित कुमार पुत्र प्रभुदयाल	18295	29/10/1997	उप पंजीयक कार्यालय अलवर प्रथम जिला अलवर
6.	भाग चन्द पुत्र छाजू लाल	18474	12/06/1986	उप पंजीयक कार्यालय जयपुर षष्ठम जिला जयपुर
7.	किस्तुरा राम पुत्र सुरता राम	18543	10/08/1990	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मुख्यालय अजमेर
8.	रमन कुमार कोली पुत्र छोदूलाल कोली	18850	05/01/1989	उप पंजीयक कार्यालय अलवर प्रथम जिला अलवर
9.	राणाराम पुत्र मांगीलाल	18934	06/06/1997	उप पंजीयक कार्यालय पाली द्वितीय जिला पाली
10.	नवल किशोर वर्मा पुत्र खेम चन्द वर्मा	18940	03/09/1985	उप पंजीयक कार्यालय जयपुर प्रथम जिला जयपुर
11.	ओमप्रकाश मीना पुत्र राम भरोसी मीना	21549	25/12/1997	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मुख्यालय अजमेर
12.	विजेन्द्र कुमार मीना पुत्र जगमोहन मीना	21551	04/11/1994	उप पंजीयक कार्यालय टोंक जिला टोंक
13.	राजा राम मीणा पुत्र प्रभु लाल मीणा	21888	01/07/1990	उप पंजीयक कार्यालय टोंक जिला टोंक
14.	दिनेश कुमार मीना पुत्र दीपनारायण मीना	21894	21/12/1997	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मुख्यालय अजमेर
15.	धर्म चन्द मीना पुत्र धन सिंह मीना	21986	06/07/1990	उप पंजीयक कार्यालय अलवर द्वितीय जिला अलवर
16.	सुनील कुमार मीना पुत्र महेश चन्द मीना	22018	13/05/1994	उप महानिरीक्षक कार्यालय वृत अलवर प्रथम जिला अलवर

क्र. स.	अभ्यर्थी का नाम	रैंक	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
17.	रितेश मीना पुत्र मुकेश राम मीना	22030	03/12/1997	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मुख्यालय अजमेर
18.	विनोद मीना पुत्र लाल चन्द मीना	22111	07/04/1993	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मुख्यालय अजमेर
19.	छोटू लाल मीना पुत्र कजोड मल मीना	22246	01/07/1998	उप पंजीयक कार्यालय भिवाडी जिला अलवर
20.	दिनेश कुमार मीणा पुत्र अमोलक चन्द मीणा	22294	01/11/1990	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मुख्यालय अजमेर
21.	निर्मल मीना पुत्र श्याम लाल मीना	22302	13/01/1992	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मुख्यालय अजमेर
22.	हेमराज मीना पुत्र शिवराम मीना	22360	01/07/1993	उप पंजीयक कार्यालय अलवर तृतीय जिला अलवर
23.	नलकेश सिंह मीना पुत्र ठण्डीराम मीना	22397	01/10/1992	उप पंजीयक कार्यालय अलवर तृतीय जिला अलवर
24.	मनीष मीणा पुत्र जगदीश मीणा	22406	04/06/1993	उप पंजीयक कार्यालय अलवर द्वितीय जिला अलवर
25.	हनुमान सहाय मीणा पुत्र गोविन्द राम मीणा	22421	20/01/1997	उप पंजीयक कार्यालय तिजारा जिला अलवर
26.	अमित कुमार मीना पुत्र एल एस मीना	22446	20/09/1990	उप पंजीयक कार्यालय नीमराना जिला अलवर
27.	पिन्दू मीना पुत्र कैलाश चन्द मीना	22461	04/04/1995	उप पंजीयक कार्यालय अलवर तृतीय जिला अलवर
28.	पंकज कुमार मीणा पुत्र रामसिंह मीणा	22479	18/10/1991	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मुख्यालय अजमेर
29.	कमलेश मीणा पुत्र रामस्वरूप मीणा	22484	06/07/1992	उप पंजीयक कार्यालय भिवाडी जिला अलवर
30.	दिनेश मीना पुत्र तेजलाल मीना	22493	14/08/1988	उप पंजीयक कार्यालय अलवर प्रथम जिला अलवर
31.	चन्द्रमोहन मीना पुत्र गिराज प्रसाद मीना	22504	28/04/1996	उप पंजीयक कार्यालय किशनगढबास जिला अलवर
32.	कमलेश कुमार मीना पुत्र ओमप्रकाश मीना	22511	02/02/1993	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मुख्यालय अजमेर
33.	बाबू लाल मीणा पुत्र गोविन्द राम मीणा	22563	01/07/1992	उप पंजीयक कार्यालय मुण्डावर जिला अलवर
34.	शिव प्रकाश मीना पुत्र शंकर लाल मीना	22619	01/03/1994	उप महानिरीक्षक वृत्त कार्यालय अजमेर द्वितीय
35.	राधामोहन मीणा पुत्र सीताराम मीणा	22622	05/05/1994	उप पंजीयक कार्यालय ब्यावर जिला अजमेर
36.	दिपेन्द्र कुमार मीना पुत्र गंगाधर मीना	22627	13/06/1998	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मुख्यालय अजमेर
37.	खिल्लौराम पुत्र अतरसिंह	22665	31/07/1982	उप पंजीयक कार्यालय ब्यावर जिला अजमेर
38.	विजय सिंह मीणा पुत्र सुखदेव मीणा	22677	09/11/1993	उप पंजीयक कार्यालय ब्यावर जिला अजमेर
39.	हिमांशु देरवाल पुत्र घनश्याम लाल मीना	22704	27/11/1993	उप पंजीयक कार्यालय बून्दी जिला बून्दी
40.	नेतराम मीना पुत्र हंसराज मीना	22727	08/04/1992	उप पंजीयक कार्यालय बून्दी जिला बून्दी
41.	अवधेश कुमार मीना पुत्र कुम्भाराम मीना	22733	04/06/1992	उप पंजीयक कार्यालय बून्दी जिला बून्दी

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अस्थायी सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
2. अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

4. उक्त नियुक्तियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी/जा.प्र.प्र./सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.15 पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.15 एवं प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्य अवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.16 में वर्णित दिशा निर्देशों के अध्याधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
5. परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना एफ.12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) दिनांक 30.10.2017 के नियम 16 की अनुसूची-iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन, आदि देय नहीं होंगे। उक्त नियुक्ति में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) 2017 की शर्तें प्रभावी रहेंगी।
6. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
7. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या 5 में निर्धारित किया जायेगा एवं तदुपरान्त ही नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
8. अभ्यर्थियों की वरिष्ठता राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी रैंक/मेरिट के अनुसार रहेगी।
9. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्ति आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. अभ्यर्थियों का पदस्थापन अथवा स्थानान्तरण राज्य के किसी भी जिले में किया जा सकता है।
11. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
12. परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.1(6)वित्त/नियम/2011 दिनांक 15.2.2012 द्वारा प्रतिस्थापित राजस्थान सेवा नियम-122क (i) के अनुसार प्रोवेशनर-प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान कोई अवकाश अर्जित नहीं होगा।
13. परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006-1 दिनांक 08.08.2019 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत असाधारण अवकाश केवल गंभीर बीमारी (critical illness) की स्थिति में सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी (महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग) की पूर्व स्वीकृति के बिना देय नहीं होगा। पूर्व स्वीकृति उपरान्त ही कार्मिक असाधारण अवकाश का उपभोग करेगा। इसके उपरान्त भी कार्मिक द्वारा परिवीक्षाकाल में बिना सक्षम स्वीकृति के असाधारण अवकाश का उपभोग किया जाता है तो उक्त ज्ञापन में उल्लिखित नियमों के अन्तर्गत कार्मिक अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होगा।

14. वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006-1 दिनांक 08.08.2019 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत असाधारण अवकाश अवधि के समानान्तर परिवीक्षाकाल में वृद्धि की जायेगी।
15. परिवीक्षाधीन अवधि में अभ्यर्थी का कार्य/आचरण संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में "The Rajasthan Subordinate Offices Ministerial service rules, 1999" के नियम 40(1) के अन्तर्गत परिवीक्षाकाल अवधि बढ़ायी जा सकती है और बिना किसी क्षतिपूर्ति के किसी भी समय सेवा से विमुक्त/सेवा समाप्त की जा सकती है।
16. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ. 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाम देय होंगे।
17. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
18. कार्यग्रहण करने के पश्चात भविष्य में किसी पद हेतु आवेदन करने या प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।
19. कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट 2 प्रतियों में तैयार की जावे। एक प्रति संबंधित अधिकारी एवं दूसरी प्रति महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर को आवश्यक रूप से भेजें। अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट ई-मेल igrs@rajasthan.gov.in के माध्यम से भी भेजी जावेगी।

— sd —
(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक


पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:- एफ2(1564) /स्था/पमु/2020/9।22- 9293

दिनांक: 28.07.2020

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) राजस्थान जयपुर को पत्रांक प.1(2)प्र. सु/अनु-3/2020 दिनांक 18.06.2020 के संदर्भ में प्रेषित है।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(कर) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक वृत्त.....
6. सम्बन्धित उप पंजीयक..... ।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री
8. निजी पत्रावली श्री.....
9. गार्ड फाईल।


(अनिता चौधरी)
उप महानिरीक्षक(कर)